उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(गोपनीय शाखा)

:: **कार्यालय आदेश** ::

कोरोना वायरस से बचाव हेतु लॉकडाउन के आलोक में पूर्व से कोषांग गठन कर विभिन्न पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। इसी क्रम में निम्न अग्रेतर कार्रवाई के आदेश दिये जाते हैं:–

1–दूसरे राज्य के रामगढ़ में फंसे हुए श्रमिक/मजदूर व जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करना व उनको निर्धारित चिन्हित Shelter Home पहुँचाने हेतु श्रम अधीक्षक, रामगढ़ जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी होंगें। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय कर सुनिश्चित करायेंगें। उन्हें खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ नोडल पदाधिकारी होंगें। वे संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय कर कार्रवाई करेंगें।

2–सर्वे, Quarantine आदि के संबंध में ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी, पारा शिक्षक आदि के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण और Orientation कराये जाने हेतु निम्न पदाधिकारियों की कमिटि बनाया जाता है:–

क) श्रीमती रजनी रेजीना इन्दवार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़।
ख) जिला अवर निबंधक, रामगढ़।
ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़।
घ) डी0पी0सी0, सिविल सर्जन कार्यालय, रामगढ़ व डॉ0 साथी घोष, जिला सर्विलान्स ऑफिसर, रामगढ़।

इसके नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण सुनिश्चित करायेंगें।

3–सभी सरकारी Quarantine Centre व Shelter Home, जहाँ पर लोग रखे जायेंगें, वहाँ पर अनुमण्डल पदाधिकारी अपने स्तर से प्रभारी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगें। इसकी सूचना सिविल सर्जन व अधोहस्ताक्षरी को देंगें। प्रभारी पदाधिकारी पर्यवेक्षी पदाधिकारी से अनुन्यन नहीं होंगें व इनके साथ किसी कर्मी को टैग किया जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ यथावश्यक दाल–भात केन्द्र, दीदी किचन के माध्यम से यहाँ खाने–पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

4–COVID Hospital, रामगढ़ व सी0सी0एल0 केन्द्रीय चिकित्सालय, नईसराय के लिए प्रशासनिक समन्वय के लिए नजारत उप समाहर्त्ता, रामगढ़ नोडल पदाधिकारी नामित किए जाते हैं। सिविल सर्जन व संबंधित अस्पताल प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करेंगें।

5– सभी Quarantine Centre व Shelter Home और सभी अस्पतालों में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ नोडल पदाधिकारी होंगें।

ह0/–
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

ज्ञापांक 306 /गो0 रामगढ़, दिनांक 10/04/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, रामगढ़/उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अपर समाहर्त्ता, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/सिविल सर्जन, रामगढ़/श्रम अधीक्षक, रामगढ़/जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़/श्रीमती रजनी रेजीना इंदवार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़/जिला अवर निबंधक, रामगढ़/नजारत उप समाहर्त्ता, रामगढ़/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ जिलाा/डी0पी0सी0, सिविज सर्जन कार्यालय, रामगढ़/संबंधित अस्पतालों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।